



दिनांक: 27-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से फ्रॉड कर ठगे गये

43,202/- रुपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व पीडितों के खाते से साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि को वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित आरिफ मलिक निवासी नन्दी फिरोजपुर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के साथ आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगी की गई शत प्रतिशत धनराशि 43,202/- रुपये पीडित के खाते में वापस करायी गयी। जिसके सम्बन्ध में पीडित द्वारा दिनांक 16.09.2024 को थाना कोतवाली मण्डी साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत सं० 23109240110314 पंजीकृत करायी गयी थी। शत प्रतिशत धनराशि वापस पाकर पीडित ने थाना कोतवाली मण्डी पुलिस का आभार प्रकट किया है।

पीडित/शिकायतकर्ता का नाम व पता:-

आरिफ मलिक निवासी नन्दी फिरोजपुर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

पीडित के खाते में वापस करायी गयी धनराशि

43,202/- रुपये

धनराशि को वापस कराने वाली साइबर हेल्प डेस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. क०आ० दिव्या मलिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. म०का० मीनू गिल थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. कां० 1612 अंकित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक: 27.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मुकदमें में वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त आकाश उर्फ अशोक पुत्र मोहन सिंह निवासी हरनाम सिंह नगर कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित एसटी नं० 434/21 व मु०अ०सं० 135/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी में कस्बा छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकाश उर्फ अशोक पुत्र मोहन सिंह निवासी हरनाम सिंह नगर कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है०का० 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 400 ग्राम अवैध चरस व 1000/- रुपये सहित 01 नशा तस्कर

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त सुहैल पुत्र शफक्कत निवासी ग्राम संसारपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम संसारपुर से ग्राम नगला झडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 400 ग्राम अवैध चरस व चरस बेचकर अर्जित 1000/- रुपये की धनराशि बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-309/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त सुहैल ने पूछताछ पर बताया कि यह चरस मैं सस्ते दाम में सहारनपुर से खरीदकर लाया हूँ जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ तथा आसपास के गाँव में जाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। जो पैसा मिलता है उससे अपने जरूरतों व शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

सुहैल पुत्र शफक्कत निवासी ग्राम संसारपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

400 ग्राम अवैध चरस

1000/- रुपये नकद (स्मैक बैचकर अर्जित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 1594 मोहित कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-09-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकए, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – देवबन्द सहारनपुर द्वारा जानलेवा हमले व हत्या के
मामलें में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड की
सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.04.2000 को वादी श्री राजकुमार पुत्र सुखवीर नि0 किशनपुरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. विनित पुत्र अमरीष नि0 किशनपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर व 2. रामकिशन पुत्र नयादर सिंह नि0 किशनपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पिता व भाई को बल्लम व भाले से पीटकर घायल कर देने की सूचना पर थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 62/2000 धारा 307,324,323 भादवि के पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 758/2000 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीष - देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – देवबन्द, सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 27.09.2024 को अभियुक्त विनित पुत्र अमरीष उपरोक्त को मु0अ0सं0-62/2000 धारा 302,307,34 भादवि के दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अभियुक्त रामकिशन को पहले ही वाद में सजा हो चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा

विवेचक निरीक्षक श्री सुधीर सिंह

पैरोकार का0 2368 उत्तम सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा० न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा **हत्या के मामलों में 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.08.2022 को वादिया सुनीता देवी पत्नी मोनू उर्फ मनोज निवासी ग्राम नैनसोब थाना नागल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. बालेश्वर पुत्र सुरेश नि० नैनसोब थाना नागल जनपद सहारनपुर, 2. सुरेश पुत्र हरनन्द निवासी उपरोक्त, 3. नहर सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर व 4. रिकू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम भीलपुर यमुनानगर हरियाणा द्वारा वादिया के पति की हत्या कर शव को जंगल में फेंक देने सूचना पर थाना नागल पर मु०अ०सं० 194/22 धारा 302,201,120 बी भादवि के पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 2448/22 पर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते मा० न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **27.09.2024** को अभियुक्तगण 1.मनोज उर्फ मोनू पुत्र जयपाल व 2. सुनीता देवी पत्नी स्व० मोनू को मु०अ०सं० 194/22 धारा 302,201,120 बी भादवि के दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री राजवीर सिंह 8791325415

विवेचक निरीक्षक श्री देशराज सिंह

पैरोकार का० 1860 दुष्यन्त कुमार जनपद सहारनपुर